

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मोहनलाल पिता किशना कीर निवासी देवपुरा वगैरह

बनाम

कमलेशी पत्नी महेंद्र कीर निवासी कीरो की टाणी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 185 /2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हवे |
|------------|--|---|
| 01-05-24 | <p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम धुवाला प.ह. धुवाला आराजी सं. 1322/861, 1211/81 कुल किता 02 रकबा 0.8256 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम धुवाला प.ह. धुवाला आराजी सं. 1322/861, 1211/81 कुल किता 02 रकबा 0.8256 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p> | |

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कृषि/करीब/2024/ 185 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प.स. 185 / 2024 अनुदान मोहम्मदाल पिला किसान कीर निवासी देवपुरा, हरनाथ पिला किसान कीर निवासी देवपुरा बताते कमजोरी पानी महेंद कीर निवासी कीरी की छापी, तहसीलदार जहाजपुर बौरह की पत्थरमड़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयवस्तु अनुदान के प्रकरण में काम चुकाला पड़ चुकाला आराजी स. 1322/851, 1211/81 कुल किला 02 रकबा 0.8255 हेक्टर भूमि की उपखण्ड की उपस्थिति में पत्थरमड़ी करने हेतु म्. अभिलेख निरीक्षण कुराडिया को कामीधर नियुक्त किया जाता है. कामीधर कीस 500 रुपये तब किए जाते हैं जो प्राप्ति मौके पर अदा करेगा, उनमें में 100 रुपये राजकोष में जमा कराते । पत्थरमड़ी के दौरान किसी भी पक्ष के बाधों को पंजामित नहीं किया जावे. तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीयों को जरुरी नोटिस / समन भेजकर उपखण्ड की उपस्थिति में पत्थरमड़ी के आदेश दिए जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 काम में पेश करे ।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा